भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5115

दिनांक 24 मार्च 2026 / 03 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

हिरासत में मृत्यु

†5115. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के:
श्री राजकुमार रोत:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में पुलिस हिरासत में हुई मौतों और गिरफ्तार किए गए तथा दोषसिद्ध ठहराए गए पुलिसकर्मियों की संख्या सहित उनके विरुद्ध की गई अन्य कार्रवाई का राजस्थान सहित, राज्यवार, जिलावार, श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में देश की विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन और दोषसिद्ध कैदियों की संख्या का राजस्थान सहित, राज्यवार, जिलावार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास हिरासत में होने वाली मौतों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस हिरासत में हुई मौतों से संबंधित पिछले पांच वर्षों 01.04.2021 से 15.03.2026 तक में दर्ज मामलों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। राजस्थान सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में हिरासत में हुई मौतों के मामलों में एनएचआरसी द्वारा अनुशंसित अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में पिछले पांच वर्षों 01.04.2021 से 15.03.2026 तक में तमिलनाडु में केवल 1 मामला दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जिलावार जानकारी नहीं रखी जाती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5115, दिनांक 24.03.2026

(ख): राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान सहित राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन और दोषी कैदियों का 31 दिसंबर, 2023 तक का नवीनतम विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। इस सम्बन्ध में ब्यूरो द्वारा जिलावार जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस और लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर परामर्श जारी करते हैं। इसके अलावा, एनएचआरसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में हुई प्रत्येक मृत्यु, चाहे वह प्राकृतिक हो या किसी अन्य कारण से, घटना के 24 घंटे के भीतर आयोग को सूचित की जानी चाहिए। आयोग ने पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं और हिरासत में हुई मौतों में किसी भी प्रकार की लापरवाही/गलत इरादे या यातना की संभावना को खत्म करने के लिए शव परीक्षण प्रपत्र का मॉडल प्रसारित किया है। यदि आयोग द्वारा पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु के मामलों की जांच में किसी लोक सेवक की लापरवाही उजागर होती है, तो आयोग केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारियों को दोषी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करता है। दोषी लोक सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं आदि के अनुसार की जाती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5115, दिनांक 24.03.2026

अनुलग्नक – I

01.04.2021 से 15.03.2026 के समय के दौरान हिरासत में हुई मौतों के संबंध में दर्ज मामलों की राज्य-वार कुल संख्या का विवरण।

एस. नं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-15.03.2026 तक
1.	आंध्र प्रदेश	1	5	3	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	3	3	5	3
3.	असम	9	11	8	13	5
4.	बिहार	18	16	13	10	19
5.	छत्तीसगढ	2	1	2	3	4
6.	गोवा	1	2	1	0	0
7.	गुजरात	24	15	18	14	14
8.	हरियाणा	4	3	7	4	10
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	2	1
10.	झारखंड	5	5	4	7	3
11.	कर्नाटक	8	5	7	2	3
12.	केरल	6	2	6	5	3
13.	मध्य प्रदेश	8	8	12	8	8
14.	महाराष्ट्र	30	22	21	14	14
15.	मणिपुर	1	2	1	0	0
16.	मेघालय	4	0	1	3	0
17.	मिजोरम	1	0	0	0	0
18.	नागालैंड	2	0	1	0	1
19.	ओडिशा	2	3	2	2	9
20.	पंजाब	9	10	6	6	14
21.	राजस्थान	13	4	7	9	18
22.	सिक्किम	1	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	4	7	4	5	7
24.	तेलंगाना	4	1	1	1	5
25.	त्रिपुरा	1	1	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	8	10	12	11	15
27.	उत्तराखंड	2	4	0	1	2
28.	पश्चिम बंगाल	5	15	8	7	7
29.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	1	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	1	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1	5	7	3	4
34.	जम्मू और कश्मीर	2	2	2	2	0
35.	लद्दाख	0	0	0	0	0
36.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
37.	पुदुचेरी	0	0	0	0	1
38.	**कुल**	**176**	**163**	**157**	**140**	**170**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5115, दिनांक 24.03.2026

अनुलग्नक-II

31 दिसंबर, 2023 तक विचाराधीन और दोषी कैदियों का विवरण

क्र.सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दोषियों				विचाराधीन कैदियों			
		M	F	Tr.	Total	M	F	Tr.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	आंध्र प्रदेश	2101	112	0	2213	5261	298	9	5568
2.	अरुणाचल प्रदेश	167	5	0	172	182	6	0	188
3.	असम	3020	76	0	3096	7217	329	0	7546
4.	बिहार	6336	208	0	6544	44706	1821	2	46529
5.	छत्तीसगढ	6586	306	0	6892	11047	471	2	11520
6.	गोवा	88	2	0	90	443	33	0	476
7.	गुजरात	4970	180	4	5154	11183	364	2	11549
8.	हरियाणा	6095	198	0	6293	18691	600	1	19292
9.	हिमाचल प्रदेश	957	31	0	988	1760	67	0	1827
10.	झारखंड	5034	221	0	5255	12997	587	0	13584
11.	कर्नाटक	3349	132	0	3481	11344	379	0	11723
12.	केरल	3514	63	0	3577	5897	166	1	6064
13.	मध्य प्रदेश	21433	948	2	22383	22108	854	2	22964
14.	महाराष्ट्र	7702	298	0	8000	31011	1401	26	32438
15.	मणिपुर	115	3	0	118	388	28	0	416
16.	मेघालय	396	6	0	402	864	17	0	881
17.	मिज़ोरम	638	72	0	710	1038	209	0	1247
18.	नागालैंड	147	0	0	147	407	25	0	432
19.	ओड़िशा	3278	85	1	3364	14266	509	3	14778
20.	पंजाब	6666	310	0	6976	23308	1186	9	24503
21.	राजस्थान	5293	126	1	5420	16799	464	0	17263
22.	सिक्किम	145	2	0	147	170	1	0	171
23.	तमिलनाडु	5781	248	2	6031	11739	612	0	12351
24.	तेलंगाना	1885	117	0	2002	3562	236	1	3799
25.	त्रिपुरा	461	19	0	480	783	64	0	847
26.	उत्तर प्रदेश	24039	1107	0	25146	70665	2819	7	73491
27.	उत्तराखंड	2382	105	0	2487	4234	163	1	4398
28.	पश्चिम बंगाल	4480	449	12	4941	19017	1264	13	20294
	कुल (राज्यों में)	127058	5429	22	132509	351087	14973	79	366139
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	203	2	0	205	166	2	0	168
30.	चंडीगढ़	331	20	0	351	696	22	0	718
31.	दादरा और नागर हवेली दमन और दीव	10	0	0	10	133	1	0	134
32.	दिल्ली	2070	69	0	2139	17183	644	7	17834
33.	जम्मू और कश्मीर	193	6	0	199	4399	169	0	4568
34.	लद्दाख	4	0	0	4	42	0	0	42
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	3	0	0	3
36.	पुंडुचेरी	116	3	0	119	290	14	0	304
	कुल (केंद्र शासित प्रदेशों में)	2927	100	0	3027	22912	852	7	23771
	कुल (अखिल भारतीय)	129985	5529	22	135536	373999	15825	86	389910
